प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अट्ठाईस'

[22/2/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 756]

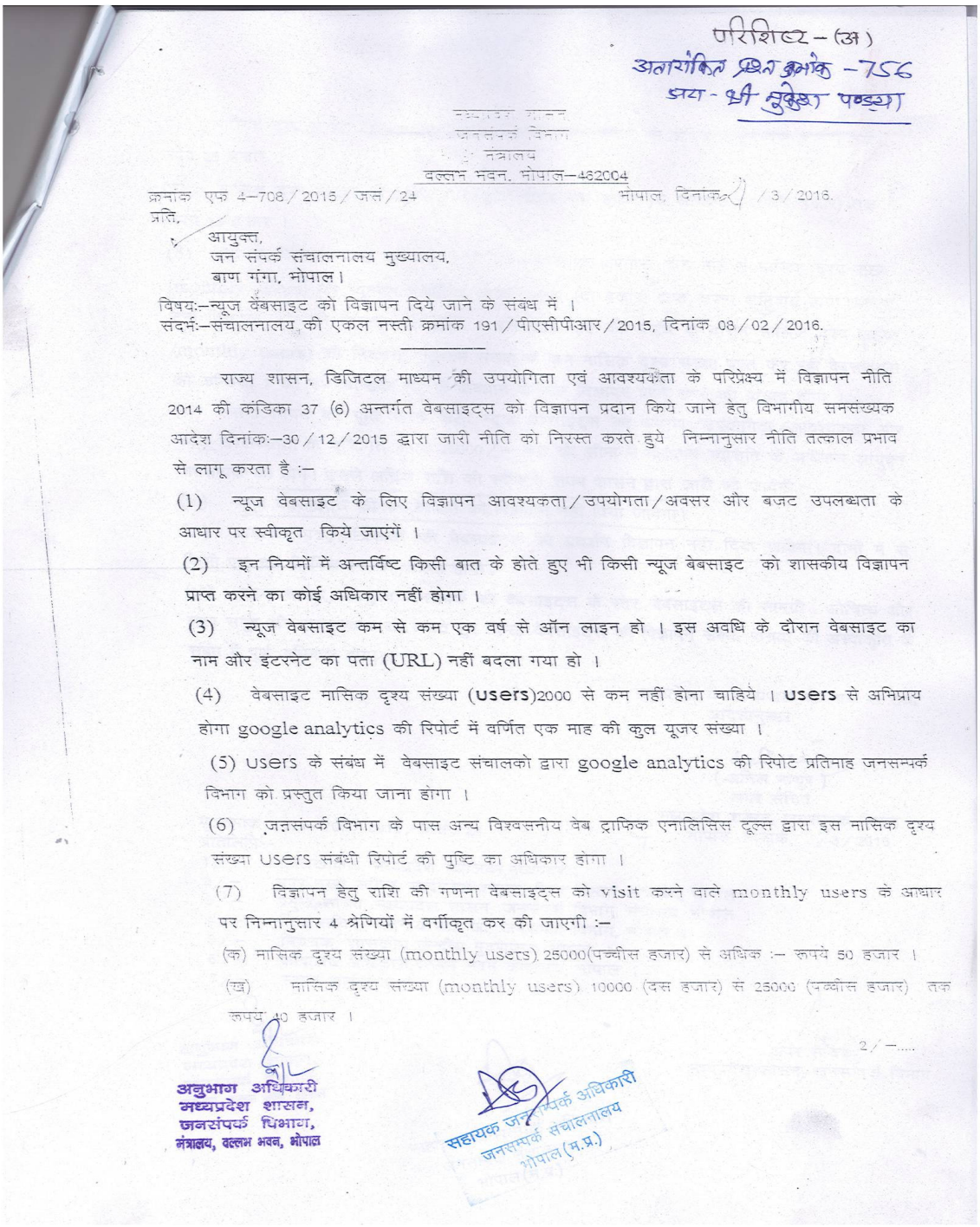

परिशिष्ट – (अ)
अतारांकित प्रश्न क्रमांक –756
द्वारा – श्री मुकेश पण्ड्या

मध्यप्रदेश शासन
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 4–708/2015/जसं/24 भोपाल, दिनांक 21/3/2016.

प्रति,

आयुक्त,
जन संपर्क संचालनालय मुख्यालय,
बाण गंगा, भोपाल।

विषयः–न्यूज वेबसाइट को विज्ञापन दिये जाने के संबंध में ।
संदर्भः–संचालनालय की एकल नस्ती क्रमांक 191/पीएसीपीआर/2015, दिनांक 08/02/2016.

राज्य शासन, डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन नीति 2014 की कंडिका 37 (6) अन्तर्गत वेबसाइट्स को विज्ञापन प्रदान किये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांकः–30/12/2015 द्वारा जारी नीति को निरस्त करते हुये निम्नानुसार नीति तत्काल प्रभाव से लागू करता है :–

(1) न्यूज वेबसाइट के लिए विज्ञापन आवश्यकता/उपयोगता/अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाएंगें ।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज बेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(3) न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑन लाइन हो । इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और इंटरनेट का पता (URL) नहीं बदला गया हो ।

(4) वेबसाइट मासिक दृश्य संख्या (users)2000 से कम नहीं होना चाहिये । users से अभिप्राय होगा google analytics की रिपोर्ट में वर्णित एक माह की कुल यूजर संख्या ।

(5) users के संबंध में वेबसाइट संचालको द्वारा google analytics की रिपोट प्रतिमाह जनसम्पर्क विभाग को प्रस्तुत किया जाना होगा ।

(6) जनसंपर्क विभाग के पास अन्य विश्वसनीय वेब ट्राफिक एनालिसिस टूल्स द्वारा इस मासिक दृश्य संख्या users संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि का अधिकार होगा ।

(7) विज्ञापन हेतु राशि की गणना वेबसाइट्स को visit करने वाले monthly users के आधार पर निम्नानुसार 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर की जाएगी :–

(क) मासिक दृश्य संख्या (monthly users) 25000(पच्चीस हजार) से अधिक :– रुपये 50 हजार ।

(ख) मासिक दृश्य संख्या (monthly users) 10000 (दस हजार) से 25000 (पच्चीस हजार) तक रुपये 40 हजार ।

2/–.....

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
जनसंपर्क विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी
जनसम्पर्क संचालनालय
भोपाल (म.प्र.)

(ग) मासिक दृश्य संख्या (monthly users) 5000 (पांच हजार) से अधिक10,000(दस हजार) तक रूपये 25 हजार ।

(घ) मासिक दृश्य संख्या (monthly users) 2000 (दो हजार)से अधिक5,000(पांच हजार) तक रूपये 15 हजार ।

(8) पूर्व से विज्ञापन प्राप्त कर रही न्यूज वेबसाइट्स को आगामी तीन माह में मासिक दृश्य संख्या (monthly users) की न्यूनतम निर्धारित संख्या 2,000 (दो हजार) प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें विज्ञापन पाने की पात्रता नहीं होगी । इस तीन माह की अवधि के दौरान मासिक दृश्य संख्या (monthly users) की निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम मासिक दृश्य संख्या प्राप्त कर रही वेबसाइट्स को कन्डिका 7 की उप कन्डिका (ध) के प्रावधान अनुसार विज्ञापन प्राप्ति करने की पात्रता होगी ।

(9) सभी नियम की पूर्ति करने वाली न्यूज बेवसाईट्स को अवसर/उपयोगिता/आवश्यकता और बजट उपलब्धतता के दृष्टिगत रूपये 25000/– तक की सीमा में विज्ञापन स्वीकृति के अधिकार आयुक्त जनसम्पर्क को होगें। इससे अधिक राशि की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा जारी की जावेगी।

(10) न्यूज बेवसाईट्स की स्मारिकाओं को विज्ञापन नहीं दिया जावेगा।

(11) समाचार पत्र/पत्रिकाओं की बेवसाईट्स को प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जावेगा। दोनों में से किसी एक को ही विज्ञापन की पात्रता होगी।

(12) राज्य शासन/आयुक्त जनसंपर्क को वेबसाइट्स के स्तर, वेबसाइट्स की सामग्री . औचित्य और लक्ष्य समूह की आवश्यकता को देखते हुए किसी वेबसाइट्स की विज्ञापन संबंधी पात्रता की अस्वीकृति के संबंध में पूर्ण अधिकार होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अनिल माथुर)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग
भोपाल, दिनांक /3/2016

पृ0क्रमांक एफ 4–708/2015/जसं/24
प्रतिलिपि:–

1/– महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
2/– अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3/– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4/– निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जनसंपर्क विभाग, भोपाल ।
5/– नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल ।
6/– कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
7/– स्टाक फाईल ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
जनसंपर्क विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी
जनसम्पर्क संचालनालय
भोपाल (म.प्र.)

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग